पत्र संख्या : 7ब/3451 गैरयोजना–01/2014...105

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

बी॰के॰ त्रिपाठी,
प्रधान सचिव

सेवा में,

अवर सचिव – सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, रॉची ।

रॉची, दिनांक 16-09-14

विषय :– वित्तीय वर्ष 2014–15 में मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष – 3451 – सचिवालय–आर्थिक सेवाएं, लघु शीर्ष–090–सचिवालय, उप शीर्ष–09–जल संसाधन विभाग मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट मुख्य शीर्ष **3451– सचिवालय–आर्थिक सेवाएं,** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 3451– सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	090–सचिवालय	09–जल संसाधन विभाग	**32.350**

अतिरिक्त आवंटित राशि – रूपये बत्तीस लाख पैंतीस हजार मात्र

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट उपबंध तथा वित विभाग के पत्रांक–310/बजट, दिनांक 13.05.14 द्वारा प्रथम अनुपूरक बजट से प्राप्त कूल राशि रूपये 852.68 लाख (आठ करोड़ बावन लाख अडसठ हजार) मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(श्वेता कुमारी)
सहा॰ अभि॰

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2014–15 से, सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की निकासी वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।

10. 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन के भुगतान इस इकाई में आबंटित राशि से नियमानुसार एवं परिशिष्ट –II की सूची के अनुरूप किया जायेगा एवं जहाँ भी स्वीकृति आवश्यक हो, सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर लिया जायेगा। इस इकाई में अगर अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो कर्मचारीवार पूर्ण विवरण के साथ अधियाचना भेजी जाय ताकि अगले अनुपूरक बजट में राशि की मॉग की जा सके ।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित उप सचिव/अवर सचिव/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

अनु० :– यथोक्त

(बी के त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 105 रॉची, दिनांक :– 16-09-14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो० – हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

(बी के त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 105 रॉची, दिनांक :– 16-09-14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री, जल संसाधन, के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II /मुख्य अभियंता (मो०), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि०/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

(श्वेता कुमारी)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुनील कुमार सिन्हा)	**(बी के त्रिपाठी)**
सहा० अभि०	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)	**प्रधान सचिव**

परिशिष्ट–I

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–3451–सचिवालय–आर्थिक सेवाएं

लघु शीर्ष–090–सचिवालय /उप शीर्ष–09–जल संसाधन विभाग

पत्रांक .... दिनांक .... का अनुलग्नक

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2014–2015		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें				विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय					विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	(आवंटित राशि लाख रूपये में)	
	कार्यालय का नाम		वेतन	एल0 टी0 सी0	15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	मशीनरी एवं उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यवसायिक सेवाएँ	दूरभाष	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड →	49N345100 090090101	49N345100 090090112	49N3451000 90090183	49N345100 090090185	49N345100 090090213	49N345100 090090315	49N345100 090090317	49N345100 090090323	49N345100 090090329	49N345100 090090333	49N345100 090090442	49N345100 090090760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	अवर सचिव – सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, रॉंची।	पूर्व का आवंटन	541.00	1.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.50	1.50	1.50	1.50	3.00	1.25	**561.25**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**1.000**	**13.600**	**0.000**	**4.000**	**4.000**	**0.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**3.000**	**1.750**	**32.350**	
		कुल आवंटन	541.000	2.000	13.600	2.000	8.000	8.000	1.000	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	**593.600**	

अतिरिक्त आवंटित राशि– **रू० बत्तीस लाख पैंतीस हजार मात्र**

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी०के०त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

मॉग संख्या–49, मुख्य शीर्ष–3451 –आर्थिक सेवायें–लघु शीर्ष–090 सचिवालय/ उप शीर्ष–09 जल संसाधन विभाग

15.11.2000 के बाद के बकाये राशि के भुगतान हेतु पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन का विवरणी

कार्यालय का नाम	क्र0 सं0	पदाधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	बकाया वेतन की राशि (अनुमानित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, रांची	1	श्री संतोष कुमार	आप्त सचिव	51081	
	2	श्री अमृत चौधरी	आप्त सचिव	51621	
	3	श्री संजय चौधरी	आप्त सचिव	51621	
	4	श्री रवि कुमार	निम्नवर्गीय लिपिक	75000	
	5	श्री सीताराम मुर्मू	अभिलेखवाट	30000	
	6	श्री देव शर्मा	अनुसेवक	20000	
	7	श्री रामचन्द्र राय	फरास	30000	
	8	श्री ओम प्रकाश	अनुसेवक	30000	
	9	श्री सहदेव राय	अनुसेवक	30000	
	10	श्री उमेश सिह	अनुसेवक	30000	
	11	श्री गाण्डेलाल बिन्द	अनुसेवक	50000	
	12	श्री आदित्य कुमार	अनुसेवक	30000	
	13	श्री भगवान सिंह	अनुसेवक	50000	
	14	श्री अरूण कुमार राय	अनुसेवक	45000	
	15	आरजु निशा	अनुसेवक	25000	
	16	श्री उपेन्द्र राउत	अनुसेवक	30000	
	17	श्री बिभूतिनाथ झा	अनुसेवक	30000	
	18	श्री राजीव गोप	अनुसेवक	50000	
	19	श्री अशोक कुमार रजक	ट्रेजरी सरकार	30000	
	20	श्री सियाराम भारती	अनुसेवक	30000	
	21	श्री दीनानाथ प्रसाद	अनुसेवक	50000	
	22	श्री विजय किशोर यादव	उच्चवर्गीय लिपिक	40000	
	23	श्री रविभूषण	निम्नवर्गीय लिपिक	30000	
	24	श्री शम्भु पाठक	से॰नि॰ प्र॰पदा॰	325000	
	25	श्री सुरेश	स्वीपर	30000	
	26	स्व० हरेन्द्र प्र० साहु		33000	
	27	श्री प्रभनाथ साह	चालक(से०नि०)	50000	
	28	श्री सुभाषचन्द्र लाल	से०नि०	32677	
			कुल	**1360000**	

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(बी के त्रिपाठी)
प्रधान सचिव